बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited
(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TINVAT NO-10011255025 CIN-U74110BR2012SGC018889
Website:www.bsptcl.bih.inc.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं0 – 187 / पटना, दिनांक 20/01/22/

T-III/Accounts/DP-26004/2019

श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध कर्तव्य की अवहेलना एवं घोर कदाचार के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार कम्पनी के संकल्प संख्या–1988 दिनांक–26.06.2019 द्वारा श्री राजीव रंजन सिंह, तदेन वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

1. आपके द्वारा रूपया 195.9595 करोड़ की राशि को जानबूझ कर अपने सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया तथा कम्पनी प्रबंधन को अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी दे कर वित्तीय अनियमितता की गई है। आपने कम्पनी की हितो की परवाह नही करते हुए अपने व्यक्तिगत उदेश्यों की पूर्ति के लिए ना केवल कम्पनी के लेखा को अनावश्यक रूप से प्रभावित किया अपितु महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर कम्पनी की छवि धूमिल करने के साथ–साथ कम्पनी को दोषी आयकर दाता की श्रेणी खड़ा कर दिया।

2. आपने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के मध्य होने वाले लेन–देन को अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन करने के उद्देश्य इसे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड और ऊर्जा एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया। आपने इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर दिनांक–17.08.2016 को अनुमोदन प्राप्त किया। आपके इस भ्रामक प्रस्ताव पर कम्पनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का आपका एक मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपतियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योकि आपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री पारसनाथ सिंह, सेवानिवृत संयुक्त सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी नामित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर अपने पत्रांक–110/E0/SB दिनांक–09.12.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का निष्कर्ष निम्नवत है:–

".....इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के द्वारा रू0 195.9595 करोड़ की राशि को कम्पनी की पुस्तकों में गलत मंशा से अधिसूचना संख्या–2175 दिनांक–30.06.2014 की अवहेलना करते हुए ऋण के रूप में लेखांकित किया और उसपर अनावश्यक रूप से ब्याज भी भारित किया, वही दूसरी ओर, कर निर्धारण के क्रम में इस राशि को अधिसूचना संख्या–2175 दिनांक–30.06.2014 के आलोक में कम्पनी के अंशपूंजी के रूप में सम्पुष्ट भी किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी के हितों की परवाह नहीं करते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना केवल कम्पनी के लेखा को अनावश्यक रूप से प्रभावित किया अपितु महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया गया।

अपनी गवाही के क्रम में अभियोजन पक्ष के गवाह श्री प्रदीप कुमार, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), श्री अफताब आलम, उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं श्री विशाल कुमार, लेखा पदाधिकारी द्वारा सम्पुष्ट किया गया है कि राज्यादेश संख्या–2175 दिनांक–30.06.2014 में संदेह की कोई संभावना नहीं है अपितु यह स्पष्ट राज्यादेश है, जिसके अनुसार पुनर्गठन के उपरान्त दिनांक–01.11.2012 के बाद योजना मद में प्राप्त राशि को अंशपूंजी के रूप लेखांकित किया जाना था। साथ ही गवाहों के द्वारा यह भी सम्पुष्ट किया गया है कि राज्य सरकार से दिनांक–30.06.2014 का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त होल्डिंग कम्पनी एवं अन्य तीन अनुषंगी कम्पनियों अर्थात BSPTCL को छोड़कर अन्य चार कम्पनियों के द्वारा दिनांक–01.11.2012 के बाद योजना मद में प्राप्त ऋण की राशि को अंशपूंजी के रूप में लेखांकित कर लिया गया था।

ADB का लोन जो राज्य सरकार से प्राप्त होता है वह गैर योजना मद का है। राज्यादेश संख्या–2175 दिनांक–30.06.2014 का संबंध योजना मद की राशि से है। इसलिये गैर योजना मद से प्राप्त राशि का लेखांकन उसी स्वरूप में किया जाता है, जिस स्वरूप में वह कम्पनी को प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि 2175 के निर्गमन के उपरांत योजना मद में सरकार द्वारा जो भी राशि विमुक्त की गई है वह मुख्य शीर्ष 4801 अर्थात अंशपूंजी के रूप में की गई है। कम्पनी के पुनर्गठन के उपरांत एवं 2175 के निर्गमन के मध्य एवं उसके बाद की अवधि के राज्य योजना मद से प्रदत्त राशि को 2175 के द्वारा अंशपूंजी के रूप में सैद्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।..... ....." इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध आरोप संख्या–01 स्पष्ट रूप से पूर्णतः प्रमाणित होता है।

".....आरोपी का कथन कि प्रासंगिक प्रारूप श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी, प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक–03.08.2017 को अनुमोदित है, यह सत्य नहीं है। क्योकि वर्ष 2016 में ही प्रबंध निदेशक द्वारा पत्र प्रारूप को अनुमोदित किया गया है जिसका पत्र निर्गत नहीं हुआ है। पुनः लगभग एक (01) वर्ष के बाद दिनांक–03.08.2017 को समरूप एक नया पत्र प्रारूप प्रबंध निदेशक के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया है। इस पत्र को भी अनुमोदन के लगभग 56 दिनों के बाद निर्गत किया गया है।....." अतः यह आरोप भी श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

तदुपरांत जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

तदालोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए इस कार्यालय के संकल्प संख्या–4719 दिनांक–24.12.2019 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक–21.01.2020 को उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।